पत्रांक –3/एम० –65/2014सा०प्र०...2608/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 18.2., 2015

विषयः– **"बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983" के प्रावधानों का अनुपालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भ्रष्टाचार के रोकथाम, जन विश्वास को अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता के उन्मूलन के उद्देश्य से "बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983" का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन सार्वजनिक काम (वर्क) से संबंधित अपराध; वन उपज से संबंधित अपराध; अस्पताल और औषधि आदि से संबंधित अपराध; मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब की बिक्री से संबंधित अपराध; बिक्री–कर से बचने के लिए बोगस फर्मो के रजिस्ट्रेशन से संबंधित अपराध; काल्पनिक ऋण और उसके उपयोग के मिथ्या सत्यापन से संबंधित अपराध; अवैध कॉलोनी बनाने से संबंधित अपराध; जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने से संबंधित अपराध के उन्मूलन हेतु प्रावधान सहित प्रकीर्ण उपबंध के अधीन विविध प्रावधान किये गये हैं।

चूँकि भ्रष्टाचार के रोकथाम, जन विश्वास को अर्जित करने तथा प्रशासनिक शिथिलता के उन्मूलन के उद्देश्य से गठित "बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1983" के प्रावधान वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रभावी हैं। अतः अनुरोध है कि अधिनियम के प्रावधान पूरी तत्परता एवं सख्ती से लागू करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

zakul hameed/ miss